

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधि कुच बा ॥

पटना—15, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

संख्या : 1/सी०—०३/२०१२—सा० प्र०—४९९७/ विभागीय अधिसूचना संख्या—४५३२ दिनांक १३.०४.२०१७ द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन ३५ पदाधिकारियों (३३ एस सी एस पदाधिकारी एवं ०२ नॉन—एस सी एस पदाधिकारी) को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर) में प्रोन्नति दी गयी है, उनके द्वारा धारित संयुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार के पदों को उनके पदस्थापन काल तक के लिए अपर सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
०३५१
—२६/४/१७
(कर्त्तव्य लाल साह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी०—०३/२०१२—सा०प्र०—४९९७/पटना—15, दिनांक: 26 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा—आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०टी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा—१ एवं प्रशाखा—६) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०३५१
—२६/४/१७
सरकार के अवर सचिव